संख्या-467/2020/2714/22-2-2019-17(82)/2010

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2020**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममोहन सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30094/प्रोबे0अनु0(2)-208/सला0समिति/(एम-19-09-2019), दिनांक 30-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममोहन सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, सुरसेन हार, मजरा-बेन्दा, थाना-तिन्दुवारी जनपद-बांदा का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 21/22-08-1976 की रात्रि लगभग 08:30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डल्लू सिंह के घर में डकैती डाले जाने के दौरान 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-62/1977 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.07.1995 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.07.2019 तक 24 वर्ष 01 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 45 वर्ष 02 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 29.07.2019 तक लगभग 65 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मानसिकता के कारण बन्दी द्वारा अग्रेतर अपराध कारित किए जाने की प्रबल संभावना होने तथा अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया, मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 05.12.2016 के अनुसार तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के अभिमत में राममोहन का प्रकरण 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के लिए उचित नहीं है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03 व्यक्तियों की हत्या सहित डकैती जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। बंदी की मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की होने के कारण पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, शारीरिक रूप से सशक्त होने, बंदी द्वारा कारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपराध की गंभीरता के कारण बंदी को जेल में आगे भी निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से पीड़ित परिवार द्वारा द्वारा प्रतिक्रिया किए जाने की पूर्ण संभावना होने का उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राममोहन सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राममोहन सिंह (बन्दी संख्या-130/2016) पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-467/2020/2714(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in